रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012026-269370
CG-DL-E-15012026-269370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947**
No. 192]	**NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947**

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1625(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय अमरावती में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (1)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 203(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1625(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Union Bank of India, Canara Bank, Indian Bank and State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Andhra Pradesh Grameena Bank with its head office at Amaravati under the sponsorship of Union Bank of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Chaitanya Godavari Grameena Bank, Andhra Pragathi Grameena Bank, Saptagiri Grameena Bank and Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(1)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 204(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1626(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा पंजाब नैशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रायोजित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का पंजाब नैशनल बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात बिहार ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (2)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 204(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1626(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Punjab National Bank and Central Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Bihar Gramin Bank with its head office at Patna under the sponsorship of Punjab National Bank.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Dakshin Bihar Gramin Bank and Uttar Bihar Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(2)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 205(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1627(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा बैंक आफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का बैंक आफ बड़ौदा के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात गुजरात ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय वडोदरा में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (3)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 205(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1627(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Baroda Gujarat Gramin Bank and Saurashtra Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Bank of Baroda and State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Gujarat Gramin Bank with its head office at Vadodara under the sponsorship of Bank of Baroda.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Baroda Gujarat Gramin Bank and Saurashtra Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(3)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 206(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1628(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित जे एंड के ग्रामीण बैंक और एलाकी देहाती बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय जम्मू में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि जे एंड के ग्रामीण बैंक और एलाकी देहाती बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (4)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 206(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1628(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of J & K Grameen Bank and Ellaquai Dehati Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Jammu and Kashmir Bank Ltd. and State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Jammu and Kashmir Grameen Bank with its head office at Jammu under the sponsorship of the Jammu and Kashmir Bank Ltd.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, J & K Grameen Bank and Ellaquai Dehati Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(4)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 207(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1629(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का केनरा बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात कर्नाटक ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय बल्लारी में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (5)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 207(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1629(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Canara Bank into a single Regional Rural Bank called as the Karnataka Grameena Bank with its head office at Ballari under the sponsorship of Canara Bank.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(5)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 208(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1630(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा बैंक आफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का बैंक आफ इंडिया के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय इन्दौर में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व) और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (6)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 208(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1630(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Madhya Pradesh Gramin Bank and Madhyanchal Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Bank of India and State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Madhya Pradesh Gramin Bank with its head office at Indore under the sponsorship of Bank of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile) and Madhyanchal Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(6)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 209(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1631(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा बैंक आफ महाराष्ट्र और बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व) और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (7)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 209(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1631(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Maharashtra Gramin Bank and Vidharbha Konkan Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Bank of Maharashtra and Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Maharashtra Gramin Bank with its head office at Chhatrapati Sambhajinagar under the sponsorship of Bank of Maharashtra.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Maharashtra Gramin Bank (erstwhile) and Vidharbha Konkan Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(7)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 210(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1632(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित ओड़िशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात ओड़िशा ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय भुवनेश्वर में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि ओड़िशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (8)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 210(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1632(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Indian Overseas Bank and State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Odisha Grameen Bank with its head office at Bhubaneswar under the sponsorship of Indian Overseas Bank.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Odisha Gramya Bank and Utkal Grameen Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(8)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 211(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1633(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का भारतीय स्टेट बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात राजस्थान ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय जयपुर में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (9)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 211(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1633(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Rajasthan Marudhara Gramin Bank and Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the State Bank of India and Bank of Baroda into a single Regional Rural Bank called as the Rajasthan Gramin Bank with its head office at Jaipur under the sponsorship of State Bank of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Rajasthan Marudhara Gramin Bank and Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(9)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 212(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1634(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया और पंजाब नैशनल बैंक द्वारा प्रायोजित बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का बैंक आफ बड़ौदा के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (11)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 212(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1634(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Baroda U.P. Bank, Aryavart Bank and Prathama U.P. Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Bank of Baroda, Bank of India and Punjab National Bank into a single Regional Rural Bank called as the Uttar Pradesh Gramin Bank with its head office at Lucknow under the sponsorship of Bank of Baroda.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Baroda U.P. Bank, Aryavart Bank and Prathama U.P. Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(11)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 213(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 1635(अ) 5 अप्रैल, 2025 द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, यूको बैंक और सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रायोजित बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का पंजाब नैशनल बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 मई, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (12)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 213(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 1635(E), dated the 5th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Bangiya Gramin Vikash Bank, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Punjab National Bank, UCO Bank and Central Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the West Bengal Gramin Bank with its head office at Kolkata under the sponsorship of Punjab National Bank.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st May, 2025, Bangiya Gramin Vikash Bank, Paschim Banga Gramin Bank and Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(12)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 214(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 600(अ) 3 फरवरी, 2025 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित तेलंगाना ग्रामीण बैंक और तेलंगाना राज्य में संचालनरत आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का भाग (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का भारतीय स्टेट बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात तेलंगाना ग्रामीण बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि तेलंगाना ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व) और तेलंगाना राज्य में संचालनरत आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का भाग, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं, 1 जनवरी, 2025 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/6/2024 (10)-आरआरबी]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

S.O. 214(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services, *vide* number S.O. 600(E), dated the 3rd February, 2025, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Telangana Grameena Bank and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Regional Rural Banks) operating in the State of Telangana, sponsored by the State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the Telangana Grameena Bank with its head office at Hyderabad under the sponsorship of State Bank of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st January, 2025, Telangana Grameena Bank (erstwhile) and part of Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank operating in the State of Telangana, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/6/2024/(10)-RRB]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.